उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 10/2023–24

शम्भुनाथ महादेव भगवान द्वारा सोलह आना रैयत....अपीलकर्त्ता

बनाम

गुलावती देवी एवं अन्य.....उत्तरकारी

आदेश

09.01.2024

यह रे0मि0 अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के भुदान सम्पुष्टि वाद सं0–42–18/2010–11 में पारित आदेश दिनांक–19.03.2014 के विरूद्ध में दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा उत्तरकारी को मौजा बभनी सर्कल झोपा अंचल–सरैयाहाट के जमाबंदी सं0–47 के दाग सं0–1074 में रकवा 1.56 एकड़ में मिली जमीन की भूदान सम्पुष्टि आदेश को रद्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेख मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बभनी नं0–1 सर्कल झोपा अंचल सरैयाहाट के जमाबंदी सं0–47 कुल रकवा 44 एकड़ 26 डीसमल शंभुनाथ महादेव भगवान, सेवायत विश्वनाथ, मरीक, दयाली मरीक पे0 दलम मरीक, सुकनी मरीक, ककन मरीक, पेरू मरीक पे0 मेरू मरीक जाति पालीहार के नाम से गत गेंजर सर्वे सेटेलमेंट में दर्ज है। प्रश्नगत जमीन को भूतपूर्व जमीनदार महाराज कमलेश्वर सिंह बहादुर द्वारा मौजा बभनी एवं अन्य मौजा में शम्भुनाथ महादेव भगवान के मन्दिर को देखभाल के लिए सेवायत को उनके परिवार के भरण–पोषण के लिए दिया गया है, वर्तमान सर्वे में उक्त जमाबंदी सं0–51/47 शम्भुनाथ महादेव सेवायत रघु मरीक पिता–अमृत मरीक, 2 अंश बलदेव मरीक, पे0 भजन मरीक 2 अंश, कान्हू मरीक पे0 पंचू मरीक 2 अंश, लटन मरीक पे0 हजारी मरीक 3 अंश, कारतो मरीक पे0 कारपुरी मरीक 2 अंश, जाति पालीहार, निवास नीजग्राम रकवा 44.26 एकड़ के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन में रकवा 1.56 डीसमल जमीन की भूदान बन्दोबस्ती पट्टा को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के न्यायालय में भूदान सम्पुष्टि वाद सं0–42–18/2010–11 आदेश दिनांक–19.03.2014 द्वारा उत्तरकारी के नाम से सम्पुष्टि किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन शिवोत्तर का सम्पत्ति है, सेवायत को मात्र उक्त सम्पत्ति के देखभाल के लिए दिया गया है। वह उक्त सम्पत्ति का मालिक नहीं है, यह जमीन अहस्तान्तरीय है। सेवायत प्रश्नगत जमीन किसी को दान या हस्तान्तरण नहीं कर सकते है। सेवायत को प्रश्नगत जमीन अपने जीवन–यापन के लिए दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि यह भूदान बन्दोबस्ती पट्टा को 31 वर्षो के पश्चात् सम्पुष्टि किया गया है, जिसमें दाता एवं 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत नही किया गया है साथ ही विधिवत जॉच भी नही करवाया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि प्रश्नगत मौजा–बभनी के जमाबंदी सं0–47 दाग सं0–1074 कुल रकवा 6.59 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत शिवोत्तर सिन्धू नाथ महादेव सेवादूत विश्वनाथ मरीक वो देवीली मरीक पेशनर झलु मरीक वो सुकली मरीक वल्द मेघु मरीक व कुकरू मरीक व पेरू मरीक, पे0–सोखी मरीक के नाम से दर्ज है एवं गत सर्वे के कैफियत कॉलम में दखल इजमाल दर्ज है। दाता पांचू मरीक खतियानी रैयत सुफली मरीक के पुत्र है। उक्त जमीन दाग सं0–1074 में रकवा 1.56 एकड़ जमीन गुलावती देवी पति–राजेन्द्र महतो, ग्राम–चिहरभेक निवासी ने भूदान पट्टा सं0–5440 दिनांक–10.07.79 को भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त किया गया है। स्थल जाँच के क्रम में 16 आना रैयतों एवं दाता पांचू मरीक के पुत्र कान्हु मरीक ने भी कोई आपत्ति नहीं किया है। इस आधार पर भूदान बन्दोबस्ती को सम्पुष्टि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निष्कर्ष

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत शिवोत्तर सिंधूनाथ महादेव के सेवायत के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है एवं वर्तमान सर्वे में भी सेवायत के वंशज का नाम दर्ज है एवं गत सर्वे के केफियत कॉलम में प्रश्नगत दाग सं0–1074 दखल इजमाल दर्ज है। सेवायत रैयत प्रश्नगत जमीन के दाता पॉचू मरीक खतियानी रैयत सुफल मरीक के पुत्र है। मात्र खतियानी रैयत के एक वारिशन द्वारा भूदान कमिटि को दान में दिया गया है। प्रश्नगत शिवोत्तर सिंधूनाथ महादेव धार्मिक स्थल के सेवायत को अपने जीवन यापन के लिए दिया गया है। दान देने के पूर्व सभी सेवायत रैयत से आपत्ति प्राप्त नही की गई है साथ ही सोलह आना रैयतों को नोटिस तामिला विधिवत किया

गया है अथवा नही यह निम्न न्यायालय के आदेश में उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं माना जा सकता है, उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश विलोपित कर पुर्नविचार के योग्य है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा निम्न न्यायालय को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सेवावत के वर्तमान जीवित सभी रैयतों को तथा 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस तामिला कराकर तथा विस्तृत जॉच कर जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आदेश पारित किया जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

9/11/24

उपायुक्त,
दुमका।

9/11/24

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2024.02.23 11:59:51 +05:30
Location: 169.254.227.244